जिला सामाजिक आर्थिक पुनर्रीक्षण

वर्ष 2010–2011

जिला भिवानी

आमुख

इस प्रकाशन का उद्धेश्य जिला भिवानी में पिछले एक वर्ष में हुये सामाजिक एर्वं आर्थिक तथा अन्य विकास कार्यो बारे जानकारी उपलब्ध कराना है। इसमें जिला से सम्बन्धित विभिन्न विषयों विशेषकर क्षेत्रफल, जनसख्ंया, कृषि, सिचांई, वन, पशुपालन, विद्युत, उद्योग, सड़क तथा परिवहन, सचांर, श्रम तथा रोजगार, सहकारिता, बैंक, शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण इत्यादि के अतिरिक्त बहुत से विविद्य विषयों पर तुलना के साथ–2 जनगणना 2001 के अनुसार की तुलना ठपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है1

यह प्रकाशन विभिन्न विभागों अनुसंधान संस्थाओं और उन संस्थाओं एंव व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्व होगा जिनकी जिला भिवानी की सामाजिक एवं आंथिक समस्याओं तथा उनसे जुड़े अन्य पहलुओं में रूचि है1

मैं जिला भिवानी के विभिन्न कार्यालयों अध्यक्षों, जिन्होने इस प्रकाशन के लिए सूचना उपलब्ध कराने में सहयोग दिया, के लिए आभारी हूॅ1 उनके सहयोग के बिना इस प्रकाशन को जारी कर पाना सम्भव नही है1

अन्त मे मैं श्री लीलू राम सहायक जिला साख्यिंकीय अधिकारी, जिला साख्यिंकीय कार्यालय भिवानी का इस प्रकाशन को संकलित करने ग्राफ तैयार करने तथा रिपोर्ट को इस रूप मे समय पर प्रकाशित करने के लिए आभार प्रकट करता हूॅ1

शिवतेज सिंह
जिला साख्यिंकीय अधिकारी,
भिवानी1

जिला साख्यिंकीय आर्थिक पुनरीक्षण –जिला भिवानी

विषय सूची

——

विषय	पृष्ठ सख्ंया

——

परिशिष्ट– 1 सामाजिक आर्थिक पुनरीक्षण – जिला भिवानी

परिशिष्ट– 2 स्थिति तथा भौतिक विशेषताए

1 स्थिति तथा भौतिक विशेषताए
- स्थिति
- क्षेत्रफल तथा प्रशासनिक ढ़ाचा
- भौतिक विशेषताए
- खनिज सम्पदा
- नदियां
- जलवायु तथा वर्षा
- मिटटी
- भू–जल विज्ञान

2 जनसंख्या
- जनगणना के आकड़े
- घनत्व
- ग्रामिण व शहरी जनसंख्या
- 0–6 आयु वर्ग की जनसंख्या
- मलिन बस्तियों की जनसंख्या
- लिंगानुपात
- 0–6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात
- साक्षरता–ग्रामीण व शहरी
- मलिन बस्तियों मे साक्षरता

3 वन
- वनों के अधीन क्षेत्रफल

4 कृषि
- भूमि का प्रयोग
- कृषि जोते
- मुख्य फसलों का उत्पादन
- अधिक उपजाऊ किस्में
- रासयनिक खाद का वितरण
- पौधौं की सुरक्षा के उपाय
- कृषि यन्त्र तथा उपकरण
- कृषि उपज बिक्री सग्रंहण
- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- भूमि विकास कार्यक्रम

5 सिचांई
- सिचांई के साधन
- फसल अनुसार सिचित क्षेत्र
- सिंचाई की संघनता
- नलकूप/पम्पिगं सैट
- बाढ़

6 पशुपालन तथा डेरी
- पशुधन
- पशु चिकित्सालय सेवाएं
- डेरी''दुग्ध उत्पादन''

7 मछली पालन

8 विधुत

विधुतीकरण ''शहरी/गॉव''

नलकूप

विभिन्न परियोजनाओं में विधुत का उपयोग

9 खनिज पदार्थ तथा उद्योग

खनिज उत्पादन

लघु उद्योग यूनिट

बड़े तथा मध्यम स्तरीय उधोग यूनिट

10 सड़क तथा परिवहन

सड़क की लम्बाई

रेलवे स्टेशन एवं हरियाणा परिवहन बस स्टेण्ड़ की सख्या

राज्य परिवहन

सड़क दुर्धटनाएं

11 सचांर

डाक घर व तार घर

दूरभाष केन्द्र

12 श्रम तथा रोजगाार

औद्योगिक झगड़े

रोजगार केन्द्र

मजदूरी की औसत दैनिक आय

13 सहकारिता

14 बैंक

15 शिक्षा

विधालय तथा महाविधालय

अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

इन्जिनियंरिगं कालेज

16 चिकित्सा तथा जन स्वास्थय

स्वास्थय सेवायें

परिवार कल्याण प्रोग्राम

सुरक्षित पेयजल

17 कल्याण विभाग "अनुसूचित जातियॉ व पिछड़े वर्ग"

वृद्धावस्था एवं अन्य पैंशन

18 विविध

नगर पालिकाए

जिला राजस्व

रजिस्ट्रीकरण

पुलिस तथा अपराध

हरियाणा सरकार के कर्मचारी

मनोरंजन

टेलिविजन सैट

बचत

विकेन्द्रीकरण योजना

खेलकूद

चुनाव तथा मतदाता

परिशिष्ट –3 जिला एक दृष्टि में

परिशिष्ट – 1

जिला सामाजिक आर्थिक पुनरिक्षण – जिला भिवानी

22 दिसम्बर, 1972 को पुराने हिसार जिले को विभाजित करके भिवानी को अलग पृथक जिले के रूप में स्थापित किया गया। इसका क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड के अनुसार 465504 हेक्टेयर है। जबकि भारतीय सर्वेक्षण अनुसार 4778 वर्ग किलोमीटर है।

1 जिला भिवानी में इस समय कुल 444 गॉव है। जो 10 सामुदायिक विकास खण्डों मे विभाजित है। इस समय जिला में 5 उपमण्डल व 6 तहसीले है। जिले का क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड के अनुसार 465504 हेक्टेयर तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार जिले का क्षेत्रफल 4778 वर्ग किलोमीटर है। जो राज्य का 10.80 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना के आकड़ों के आधार पर जिले की जनसख्या 1425022 हो गई है। इसमे से 758253 पुरूष व 666769 स्त्रियां है। जिले का लिगांनुपात 879 है तथा साक्षरता दर 67.05 प्रतिशत है।

2 जिला भिवानी की जलवायु अनिशिचता लिये हुये है। अर्थात यहॉ पर गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अत्याधिक सर्दी होती है। गर्मियों में यहॉ का तापमान अधिकतम 45 डिग्री सै0 तक पहुॅच जाता है तथा सर्दियों में 3 डिग्री सै0 तक गिर जाता हैं। जिला भिवानी में 2005–2009 के दौरान पॉच वर्षीय योजना औसत सामान्य वर्षा 392.1 मि0 मी0 रिकार्ड की गई जबकि वर्ष 2009 के दौरान वार्षिक वर्षा 247.0 मि0 मी0 रिकार्ड की गई।

3 वर्ष 2009–2010 में गॉव की प्रपत्रों अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 466 हजार हैक्टेयर है। वर्ष 2009–2010 में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 416 हजार हैक्टेयर है। जो कुल क्षेत्रफल का 89.27 प्रतिशत है। निबल बोया गया क्षेत्रफल 371 हजार हैक्टेयर है जो कृषि योग्य भूमि का 89.18 प्रतिशत है। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल 343 हजार हैक्टेयर है जो निबल बोये गये क्षेत्र का 92.45 प्रतिशत है। इस प्रकार 2009–2010 में कुल बोया गया क्षेत्र 714 हजार हैक्टेयर है कुल बोये गये क्षेत्र मे से खाद्यानों के अर्न्तगत 60.02 प्रतिशत, दालों के अधीन है 08.87 प्रतिशत, नकदी फसलें गन्ना, तेल बीज, कपास तथा फल व सब्जियों के अधीन 24.20 प्रतिशत क्षेत्र है। बाजरा के अधीन 24.10 प्रतिशत क्षेत्र है जो सबसे अधिक है इसके पश्चात गेहूं का स्थान आता है जो 21.93 प्रतिशत हैं

4 जिले में सात मण्डियां तथा 7 सबयार्ड है, इन मण्डियों में मुख्य आमदन गेहूॅ तथा सरसों की है। जिले में अनाज संग्रहण करने के लिये गोदाम भी उपलब्ध है।

5 वर्ष 2009–2010 मे नहरों, नलकूप व पमपिगं सैट द्धारा जिले का 2020 सौ हैक्टेयर निबल सिचिंत क्षेत्र रहा। जिसमे 840 सौ हैक्टेयर क्षेत्र सरकारी नहरों द्धारा सिचित किया गया वर्ष 2010–2011 मे सरकारी व गैर सरकारी नलकूपो की सख्या 51174 रही। सिचांई की समता का मुख्य भाग गेहूॅ कपास तथा सरसों की फसलों में प्रयोग किया जाता है।

6 जिला भिवानी के सभी गावों का विधुतीकरण हो चुका है तथा लगभग सभी गावॅ पक्की सड़को से जुड़े हुए है।

7 सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ भिवानी के अनुसार वर्ष 2010–2011 में जिले में सभी प्रकार की 1864 सहकारी समितियॉ है। जिन की सदस्यता 349747 है। जिसके अनुसार प्रति लाख व्यक्तियों के पीछे 116 समीतिया कार्यरत है।

8 जिला भिवानी में चिकित्सा सेवायें विभिन्न सस्थाओ जैसे कि राज्य सरकार स्थानीय निकाय तथा एच्छिक सस्थाओ द्धारा प्रदान की जाती है। जिले में 8 अस्पताल 16 डिस्पैन्सरियां, 214 सब सैन्टर, एक क्षय रोग केन्द्र तथा 39 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और 6 सामुदायिक केन्द्रो द्धारा चिकित्सा प्रदान की गई। वर्ष 2010–2011 में जिले मे 7 परिवार केन्द्र थे। जिनमें नसबन्दी तथा टयूबकामी के 6026 केसिज किये गये। उपरोक्त के अतिरिक्त जिला भिवानी में 47 आर्युवैदिक सस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

9 वर्ष 2009–2010 में जिला भिवानी में 1101 प्राथमिक विद्यालय (पूर्व प्राथमिक बाल बाड़ी सहित) 227 माध्यमिक तथा 621 राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे। जिला में राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों में 131 प्राथमिक, 21 माध्यमिक तथा 62 उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवल छात्राओं के लिये है। इन विद्यालयों में 424098 विद्यार्थिओं को शिक्षा प्रदान की गई। जिनमें से 75227 विद्यार्थी अनुसूचित जाति के थे। इन स्कूलो में 11689 अध्यापक कार्यरत रहे। जिले में वर्ष 2009–2010 प्राथमिक स्तर पर 73 विद्यार्थी, माध्यमिक स्तर पर 46 विद्यार्थी तथा 27 विद्यार्थी उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर प्रति अध्यापक अनुपात रहा।

10 इसके अतिरिक्त वर्ष 2010–2011 में जिला भिवानी मे 49 कला तथा विज्ञान के महाविद्यालय कार्यरत है। जिनमें कुल 20931 विद्यार्थी डिग्री स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे है, जिनमें 2934 विद्यार्थी अनुसूचित जाति के है।

11 जिला भिवानी में 4 इन्जिनियरिंग, 32 शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं 12 औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान भी विभिन्न पाठयक्रमो मे शिक्षा प्रदान कर रहे है।

परिशिष्ट–2

स्थिति तथा भौतिक विशेषताए

1 स्थितिः–

जिला भिवानी हरियाणा राज्य के उतर मे 28.19 और 29.5 अक्षांश तथा पूर्व मे 75.28 और 76.28 रेखांश के मध्य मे स्थित है। इसके उतर दिशा मे हिसार दक्षिण मे महेन्द्रगढ़ व राजस्थान का झुन्झनु जिला पूर्व मे रोहतक और पश्चिम मे राजस्थान का इस जिले मे सीमा पड़ती है।

2 क्षेत्रफल तथा प्रशासनिक ढ़ाचा

जिला भिवानी का वर्ष 2010–2011 के राजस्व रिकार्ड के अनुसार कुल क्षेत्रफल 4655.04 हजार हैक्टेयर है जबकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 4778 वर्ग कि0 मी0 है जो राज्य के क्षेत्रफल का 18.8 प्रतिशत है। जिले मे भिवानी, बवानी खेड़ा, ताेशाम, चरखी दादरी, लोहारु तथा सिवानी में 6 तहसीलें है, जो 5 उपमण्डलों मे अर्थात भिवानी, चरखी दादरी, लोहारु, सिवानी तथा तौशाम के अर्न्तगत आती है। जिले का प्रशासनिक मुख्य कार्यालय भिवानी में स्थित है जिले का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय भिवानी से दिल्ली` –पिलानी मार्ग पर दिल्ली से 120 किलोमीटर दूरी पर है।

3 जिला भिवानी में 444 गांव है। यह सभी गांव 10 सामुदायिक विकास खण्डो के अधीन आते है तहसील भिवानी के अर्न्तगत भिवानी खण्ड तहसील चरखी दादरी में चरखी दादरी खण्ड प्रथम व द्वितीय तथा बाढडा खण्ड, तहसील लौहारु के अर्न्तगत, लौहारु खण्ड, तहसील सिवानी के अर्न्तगत सिवानी खण्ड, तहसील तौशाम के अर्न्तगत, तौशाम तथा कैरु खण्ड तथा बवानी खेडा के अर्न्तगत बवानी खेडा खण्ड आता है। जिला भिवानी मे 5 नगर तथा 462 ग्राम पंचायते है। पंचायतो की कुल सदस्य सख्या 4564 पंच तथा 462 सरपंच हे। जिला भिवानी मे 7 मार्किट कमेटियां है। जिनमे 2 मार्किट कमेटियां भिवानी में 1 तोशाम तहसील मे एक चरखी दादरी तहसील में तथा 2 लौहारु तहसील मे और एक सिवानी तहसील मे हे। इसके अतिरिक्त 7 सबवार्ड भी है।

4 भौतिक विशेषताएं

जिला भिवानी का भू–भाग ऊचॉ नीचा है और यह रेतीला और शुष्क हैं। जिले का पश्चिम भू–भाग मरुस्थलीय है। जो कि टिबा नाम से जाना जाता है भूमि का बहाव मुख्यतः उतर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की और है। जिले का दक्षिण भू–भाग मे अरावली पर्वत की शखांए है। जिनसे सड़क मकान आदि बनाने मे प्रयोग होने वाले पत्थर बहुतायतमें पाये जाते है। अरावली पर्वत की शखाओं मे सबसे ऊॅंची शाखा तोशाम में है। जिसकी ऊॅंचाई लगभग 800 फुट हे। भिवानी नगर में अनेको प्राचीन मन्दिर होने के कारण इसे छोटी कांशी के नाम से भी जाना जाता है। नगर का किरोड़ीमल मन्दिर अपनी भव्यता व सुन्दरता के लिये सुविख्यात है।

5 खनिज सम्पदा

जिला भिवानी खनिज सम्पदा के सन्दर्भ में अधिक सक्षम नही है। क्योकि वहां कोई महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध नही है।

6 नदियॉ

जिला भिवानी मे कोई भी नदी नही है।

7 जलवायु तथा वर्षा

जिला भिवानी का मौसम गर्मियों मे अधिक गर्म तथा सर्दियो में अधिक ठण्ड़ा रहता है। मई तथा जून के महीनों मे सबसे अधिक गर्मी होती है। इन दिनों में तापमान 43 डिग्री सैं0 ग्रे0 से 45 डिग्री सैं0 ग्रे0 तक होता है दिसम्बर से जनवरी तक बहुत ठण्ड़ पड़ती है। इस दौरान तापमान 3 ड़िग्री सैं0 ग्रे0 तक गिर जाता है। वर्ष 2005–2009 तक 5 वर्षो की औसत मासिक सामान्य वर्षा 392.1 मि0 मी0 रही जबकि वर्ष 2009 मे वार्षिक औसत वर्षा 247.0 मि0 मी0 रिकार्ड की गई।

8 मिटटी

मिटटी की दृष्टि से जिले को चार भागो में बाटा जा सकता है। 1 काली मिटटी 2 चिकनी एवं उपजाऊ 3 रेतीली तथा चिकनी 4 रेतीली मिट्टी। जिले में उतरी पूर्व भाग की मिट्टी काली है। उतरी भाग में चिकनी एवं उपजाऊ, दक्षिणी पूर्वी भाग में रेतीली तथा चिकनी तथा दक्षिणी भाग में लोहारु तथा सिवानी तहसील के कुछ भाग की मिट्टी रेतीली है।

9 भू–जल

जिला भिवानी के भू–भाग में पानी की सतह बहुत गहरी है। विकास खण्ड़ दादरी–2, बाढ़डा, लोहारु, सिवानी, तौशाम तथा कैरु में भू–जल स्तर जमीन की सतह से लगभग 80 फुट गहराई तक पाया जाता है।जिले के कुछ भू–भाग में भू–जल खारा है। यह समस्या दादरी विकास खण्ड दादरी–2 बाढ़डा, सिवानी व तोशाम में ज्यादा है। विगत कई वर्षों से भू–जल स्तर में औसत 4 से 6 फुट की वार्षिक दर से गिरावट जा रही है।

जनगणना 2001 के अन्तिम आकड़ो के आधार पर

10 जनगणना के आकड़े

जिला भिवानी की जनसख्ंया जनगणना 2001 के आकड़ो के आधार पर जनसख्ंया 1425022 है। जिसमें 758253 पुरुष व 666769 स्त्रियां है। जबकि 1991 की जनगणना के आधार पर जिले की जनसख्ंया 1139718 थी। जिसमें 605378 पुरुष व 533340 स्त्रियां थी। 1991–2001 की अवधि मे जिले की जनसख्ंया मे 22.45 प्रतिशत दशकीय वृद्धि हुई है। जबकि 1981–1991 दशकीय वृद्धि पर 22.90 थी। हरियाणा राज्य की दशकीय वृद्धि दर मे भी बढ़ोतरी हुई है। यह दर 1981–1991 मे 27.4 प्रतिशत से बढ़कर 1991–2001 मे 28.06 प्रतिशत हो गई है।

11 घनत्व

भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्धारा दिये गये भौगोलिक क्षेत्र के आकड़ो के अनुसार जिले का क्षेत्रफल 4778 वर्ग कि0 मी0 है। जो राज्य के क्षेत्रफल का 10.80 प्रतिशत है। जनगणना 2001 के आधार पर राज्य की 9.52 प्रतिशत जनसंख्या वहॉं रहती है। वर्ष 2001–02 मे जनगणना 2001 कें आधार पर जिले का घनत्व 298 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 है। हरियाणा राज्य का घनत्व 1991 मे 372 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 तथा 2001 मे 477 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 हो गया है।

12 ग्रामीण व शहरी जनसख्ंया

जनगणना 2001 के अन्तिम आकड़ो के अनुसार जिला की लगभग 81.03 प्रतिशत जनसख्ंया अर्थात 1154629 ग्रामीण क्षेत्र मे रहती है। जिसमे 612789 पुरुष तथा 541840 स्त्रियॉ है। जिला की श्हरी जपसख्ंया
में 270393 जो कि कुल जनसख्ंया का 16.97 प्रतिशत है। जिसमें 145464 पुरुष तथा 124929 स्त्रियॉ है।

ग्रामीण क्षेत्र में तहसील बवानी खेड़ा में 96709 जनसख्ंया में 51385 पुरुष व 45324 स्त्रियॉ भिवानी की 305342 जनसख्ंया मे 163361 पुरुष व 141981 स्त्रियॉ तोशाम की 151212 जनसख्ंया मे 80513 पुरुष व 70699 स्त्रियॉ, सिवानी की 69076 में 36472 पुरुष व 32604 स्त्रियॉ, लोहारु की 126511 की जनसख्ंया मे 66497 पुरुष व 60014 स्त्रियॉ, दादरी की 405779 जनसख्ंया में 214561 पुरुष व 191218 स्त्रियॉ, शहर भिवानी की 169531 जनसख्ंया में 91697 पुरुष व 77834 स्त्रियॉ, तोशम की 11272 जनसख्ंया में 5981 पुरुष व 5291 स्त्रियॉ, सिवानी की 15850 जनसख्यॉ में 8463 पुरुष व 7367 स्त्रियॉ लौहारु की 11421 जनसख्यॉ में 5991 पुरुष व 5430 स्त्रियॉ तथा दादरी की 44895 जनसख्यॉ में 24059 पुरुष व 20836 स्त्रियॉ है। जिला की ग्रामीण जनसख्यॉ 2001 मे 1154629 है। जो 1991 मे 948150 थी। इस तरह ग्रामीण जनसख्यॉ मे 22.38 प्रतिशत दशकीय वृद्धि हुई। जिला की श्हरी जनसख्यॉ 1991 मे 176368 से बढ़कर 2001 मे 270393 हो गई है। अतः शहरी जनसख्यॉ मे 37.51 प्रतिशत दशकीय वृद्धि हुई।

जिला के 5 नगरों में भिवानी नगर की जनसख्यॉ एक लाख से अधिक होने के कारण श्रेणी–1 तथा चरखी दादरी–111 तथा बवानी खेड़ा, सिवानी, लौहारु, व तौशाम श्रेणी– 4 के नगर है।

13 0.6 आयु वर्ग की जनसख्यॉ

जिला भिवानी की जनगणना 1991 मे 0.6 आयु वर्ग के बच्चों की सख्ंया कुल जनसख्यॉ का 19.33 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 मे 15.50 प्रतिशत रह गई है। जनगणना 2001 मे 0–6 आयु वर्ग के बच्चों की सख्यां 220632 है। जबकि 1991 में राज्य की 0–6 आयु बर्ग के बच्चो की सख्यां कुल जनसख्यॉ का 18. 96 प्रतिशत से घटकर जनगणना 2001 मे 15.46 प्रतिशत रह गई है।

जिला के ग्रामीण क्षेत्र मे 0–6 आयु वर्ग के बच्चो की जनसख्यॉ 184011 है। जो कुल ग्रामीण जनसख्यॉ का 15.49 प्रतिशत है तथा शहरी क्षेत्र मे यह सख्यां 36821 है। जो कि जिला की कुल शहरी जनसख्यॉ का 13.62 प्रतिशत है।

14 मलिन बस्तियों की जनसख्यॉ

जिला के भिवानी नगर की 41443(24.46) प्रतिशत जनसंख्या मलिन बस्तियो मे रहती है। इसमे 22247 पुरुष तथा 19196 स्त्रियॉ है। 0–6 आयु वर्ग मे बच्चों की 5603 जनसख्ंया मे 3174 पुरुष तथा 2529 स्त्रियॉ है।

15 लिगांनुपात

जिला भिवानी मे जनगणना 2001 के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर 880 महिलाओं का अनुपात है। जो 1991 मे भी 880 था इससे स्पष्ट है कि स्त्री पुरुष अनुपात मे 1991 की तुलना मे 2001 मे गिरावट नही हुई है। हरियाणा राज्य मे यह अनुपात 861 है। जो राज्य मे सबसे कम स्तर पर पहुॅंच गया है।

जिला भिवानी मे ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों मे यह अनुपात क्रमशः 885 तथा 858 है। ग्रामीण क्षेत्र मे स्त्री पुरुष अनुपात तहसील बवानी खेड़ा मे, भिवानी, तोशाम, सिवानी, लौहारु तथा चरखी दादरी मे क्रमशः 882, 871, 875, 896, 902 तथा 893 तथा शहरी क्षेत्र के 4 नगरो बवानी खेड़ा, भिवानी, सिवानी, तथा चरखी दादरी मे क्रमशः 884, 847, 872, तथा 868 है।

16 0–6 आयु वर्ग के बच्चो मे लिंगानुपात

जिला का 0–6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात 838 है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र मे यह अनुपात क्रमशः 841 तथा 821 है। ग्रामीण क्षेत्र मे 6 तहसीले बवानी खेड़ा, भिवानी, तोशाम, सिवानी, लोहारु तथा चरखी दादरी मे क्रमशः 862, 837, 872, 849, 853, 817 है तथा शहरी क्षेत्र के 4 नगरों बवानी खेड़ा, भिवानी, सिचानी, तथा चरखी दादरी मे क्रमशः 917, 810, 839, 774 है।

हरियाणा राज्य मे स्त्री पुरुष अनुपात 820 हे। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों मे क्रमशः 824 व 809 है। जिला के चरखी दादरी नगर का लिंगानुपात 774 है। जो जिला मे सबसे कम है तथा चरखी दादरी तहसील का लिंगानुपात 817 है। जो जिला की 6 तहसीलो मे सबसे कम है।

17 मलिन बस्तियों मे लिंगानुपात

जिला भिवानी के भिवानी नगर की 24.46 प्रतिशत जनसख्ंया मलिन बस्तियो मे रहती है। इन बस्तियों मे रहने वाली जनसख्ंया मे स्त्री पुरुष अनुपात 863 है मलिन बस्तियों में 0–6 आयु वर्ग की जनसंख्र्या मे स्त्री पुरुष अनुपात 823 है।

18 साक्षरता

जनगणना 2001 मे जिला भिवानी मे 620386 व्यक्ति साक्षर है जिसमें 517730 पुरुष तथा 302052 स्त्रियॉ है। जनगणना 2001 मे जिला मे 68.17 प्रतिशत की साक्षरता दर दर्ज की गई। जिला मे पुरुष साक्षरता दर 81.91 तथा स्त्री साक्षरता दर 53.50 की तुलना मे अधिक रही जनगणना 2001 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 68.59 प्रतिशत है। पुरुष तथा स्त्री साक्षरता दर क्रमशः 79.27 तथा 56.31 है।

19 साक्षरता ग्रामीण व शहरी

जनगणना 2001 के अनुसार जिला मे ग्रामीण क्षेत्र मे 65.94 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है। जिनमे 60. 04 प्रतिशत पुरुष तथा 50.17 प्रतिशत स्त्रियॉ साक्षर है। शहरी क्षेत्र मे 77.43 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है। जिनमे 85.90 प्रतिशत पुरुष तथा 67.52 प्रतिशत स्त्रियॉ साक्षर है जबकि 1991 की जनगणना अनुसार ग्रामीण व शहरी स्तर पर साक्षरता दर क्रमशः 51.27 तथा 67.60 प्रतिशत रही।

ग्रामीण साक्षरता की दृष्टि से तहसील बवानी खेड़ा, भिवानी, तोशाम, सिवानी, लोहारु तथा चरखी दादरी मे साक्षरता दर क्रमशः 63.61, 66.26, 62.42, 60.53, 53.90 व 69.89 प्रतिशत है। उक्त तहसीलो मे पुरुष साक्षरता दर क्रमशः 76.89, 79.07, 76.78, 75.71, 80.04 व 83.46 तथा स्त्री साक्षरता दर क्रमशः 48. 55, 51.66, 46.00, 43.77, 46.21 तथा 53.32 प्रतिशत है। शहरी साक्षरता दर मे जिला भिवानी के 6 नगरो बवानी खेड़ा, भिवानी, तोशाम, सिवानी, लोहारु तथा च0 दादरी मे क्रमशः67.02, 79.26, 74.56, 60.61, 66. 72 तथा 80.62 प्रतिशत है। उक्त नगरो मे पुरुष साक्षरता दर क्रमशः 79.54, 86.78, 84.20, 60.11, 79.73 तथा 85.89 तथा स्त्री साक्षरता दर क्रमशः 52.76, 70.44, 63.62, 55.53, 52.43 तथा 71.48 प्रतिशत है।

20 मलिन बस्तियों मे साक्षरता

जिला भिवानी की भिवानी नगर परिषद की मलिन बस्तियों की कुल जनसंख्या 41443 में 27139 व्यक्ति साक्षर है। जिनमे 16165 पुरुष तथा 10974 स्त्रियॉ साक्षर है इन बस्तियों मे साक्षरता दर 75.72 प्रतिशत दर्ज की गई

21 वनो के अधीन क्षेत्रफल

वन विभाग के अनुसार जिले मे वर्ष 2010–2011 मे लगभग 91 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र वनो के अधीन था। जो कुल क्षेत्रफल का 1.90 प्रतिशत है। इस समय जिला मे 1 वर्ग कि0 मी0 आरक्षित राज्य वन क्षेत्र तथा 90 वर्ग कि0 मी0 सरक्षिंत राज्य वन क्षेत्र मे आता है।

कृषि

22 भूमि का प्रयोग

वर्ष 2009–2010 मे गांव पत्रो के अनुसार जिला भिवानी का कुल क्षेत्रफल 465504 हैक्टेयर है। जिसमे से 1.90 प्रतिशत वनो के अधीन, खेती बाड़ी से भिन्न प्रयोग मे लाई गई भूमि 5.09 प्रतिशत तथा फसलों के अधीन कुल क्षेत्रफल 714 हजार हैक्टेयर मे से 51.96 प्रतिशत क्षेत्र बुवाई किया गया क्षेत्र निबल आता है।

23 वर्ष 2009–2010 मे कृषि योग्य भूमि 416 हजार हैक्टेयर है। जबकि निबल बोया गया क्षेत्र 371 हजार हैक्टेयर है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 345 हजार हैक्टेयर है जो कुल बोये गये क्षेत्र का 48.03 प्रतिशत है। वर्ष 2009–2010 मे जिला भिवानी मे कुल बोया गया क्षेत्र 714 हजार हैक्टेयर रहा।

24 तहसील बवानी खेड़ा, भिवानी, तोशाम, सिवानी, लोहारु तथा दादरी मे निबल बोया गया क्षेत्र क्रमशः 31.2 हजार, 79.0 हजार, 59.6 हजार, 43.3 हजार, 57.8 हजार तथा 116.1 हजार हैक्टेयर है। जो कुल निबल क्षेत्र का तथा 8.06, 20.41, 15.40, 11.18, 14.93, तथा 30.0 प्रतिशत है। जिला भिवानी का दक्षिणी भाग रेतीला तथा ऊँचा नीचा है। परन्तु सिचांई आदि की नई तकनीक जैसे फुवारा सिचांई आदि के कारण वर्तमान मे खाद्यान्न उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई है।

25 कृषि जोतें

कृषि गणना 2000–2001 के अनुसार जिला भिवानी मे कुल 114448 कृषि जोते कार्यरत थी। इन जोतो मे 54.68 प्रतिशत जोते 2 हैक्टेयर तक की, 26.61 प्रतिशत 2 से 5 हैक्टेयर तक की, 12.32 प्रतिशत 10 हैक्टेयर तक की, 5.18 प्रतिशत 20 हैक्टेयर तक की तथा 1.19 प्रतिशत 25 हैक्टेयर तथा इससे ऊपर की थी।

26 जिला भिवानी की रबी की मुख्य फसले गेहूँ व सरसो तथा खरीफ की मुख्य फसल बाजरा तथा कपास की है। वर्ष 2009–2010 मे कुल बोये गये 714 हजार हैक्टेयर क्षेत्र मे से 156.6 हजार है0 अर्थात 21.93 प्रतिशत गेहूँ के तथा 139.1 हजार हैक्टेयर अर्थात 19.48 प्रतिशत तिलहन के अधीन रहा, 172.1 हजार हैक्टेयर क्षेत्र अर्थात 24.10 प्रतिशत क्षेत्र बाजरे के तथा 32.8 हजार हैक्टेयर अर्थात 4.59 प्रतिशत क्षेत्र कपास के अधीन रहा। जबकि वर्ष 2008–2009 मे बोये गये क्षेत्र मे 19.93 प्रतिशत क्षेत्र गेहूँ के अधीन तथा 18.49 प्रतिशत क्षेत्र सरसो के अधीन था तथा 23.0 प्रतिशत क्षेत्र बाजरे के अधीन था।

27 मुख्य फसलों का उत्पादन

फसलों के अधीन उत्पादन मे प्राकृतिक साधनो जैसे वर्षा, जलवायु तथा भूमि उपजाऊ शक्ति का मुख्य योगदान रहा है। जिले की मुख्य फसलें गेहूँ व बाजरा है।

28 वर्ष 2009–2010 मे गेहूँ का उत्पादन 561 हजार टन, जौ का उत्पादन 35 हजार टन, बाजरा का उत्पादन 181 हजार टन था। बाजरा की औसत उपज 1055 किलोग्राम, गेहूँ की 3594 किलोग्राम एंव सरसों की 1541 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर रही।

29 अधिक उपजाऊ किस्में

जिला भिवानी मे गेहूँ तथा बाजरा की अधिक उपजाऊ किस्मों के बीजो का प्रयोग हो रहा है। वर्ष 2009–2010 में गेहूँ के अधीन लगभग 96.5 प्रतिशत क्षेत्र तथा बाजरा के अधीन 85.9 प्रतिशत क्षेत्र मे अधिक उपजाऊ बीजो का प्रयोग हुआ है।

30 वर्ष 2009–2010 मे जिला भिवानी में 141560 टन गेहूँ की विभिन्न एजेन्सियों द्धारा खरीद की गई।

31 रासायनिक खाद का वितरण

वर्ष 2010–2011 मे कुल खाद का उपयोग 59063 टन रहा उपयोग मे नाईट्रोजन 41896 टन तथा फास्फोरस 16315 टन का उपयोग रहा, जबकि पोटास का उपयोग केवल 852 टन रहा।

32 पौधौ की सुरक्षा के उपाय

वर्ष 2010–2011 मे 299.0 टन कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया गया। जो मुख्यताः गेहूॅं तथा कपास की फसलो के अधीन क्षेत्र में किया गया इसके अतिरिक्त सरसो की फसल पर भी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया।

33 कृषि यन्त्र तथा उपकरण

पशुगणना 2003 के अनुसार जिले मे उपयोग किये गये कृषि यन्त्र तथा उपकरणों मे ट्रेक्टर की सख्ंया 17063 थी। कम्बाईन हारवेस्टर की सख्ंया 19541 थी। जो कि ट्रेक्टर चालित थे इसके अतिरिक्त 15120 लकड़ी के तथा 23853 लोहे के हल प्रयोगरत थे।

34 कृषि उपज बिक्री सग्रंहण

वर्ष 2010–2011 मे भिवानी मे कृषि उपज की पूर्ति के लिये 7 मार्किट कमेटियों तथा 9 सबवाड़ द्धारा बिक्री एवं खरीद करवाई गई। जिसमे मुख्यतः आमदन जौ, गेहूॅं, सरसो बाजरा तथा चने की फसल रहा। इन सभी मण्डियों मे 379900 टन कुल कृषि उत्पादन की आमद रही जबकि 2009–2010 मे कुल कृषि उत्पादन की आमद 350600 टन रही।

35 वर्ष 2010–2011 के दौरान इन सभी मण्ड़ियों में गेहूॅं की आमद 159800 टन जौ की आमद 12700 टन, आलू की आमद 10500 टन रही। सरसो तोरिया तथा तारामीरा की आमद 12600 टन रही।

36 इन मण्ड़ियों में किसानो को रात को ठहरने के लिये किसान विश्राम ग्रह है तथा इसके अतिरिक्त पीने के पानी पशुशाला इत्यादि की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

37 जिला भिवानी मे वर्ष 2010–2011 मे सरकारी गोदामो की क्षमता 136000 टन थी।

38 समन्त्रित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी भिवानी मे अपनी स्थापना से ही ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी से अभिशाप को समाप्त करने के लिये भरसक प्रयास रहे है और इस दिशा मे इसे न केवल शत प्रतिशत भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने का ध्येय है। वह गरीब ग्रामीण परिवारो के आर्थिक स्तर मे वास्तविक दृष्टि लाने मे सफल रही है। अब इस दिशा मे और कारगर रुप से सक्रिय है। एजेन्सी का यह दृढ़ सकंल्प है कि वह जिला भिवानी के हर परिवार की इतनी आर्थिक सहायता प्रदान करवा दे कि वह सदा के लिये गरीबी की रेखा को पार कर ले। वर्ष 2009–2010 मे ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत 1981 गरीब परिवारो को 650.538 लाख रुपये के ऋण और 195.862 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया गया इन लाभान्वित परिवारो मे से 1027 परिवार अनुसूचित जातियो से स्म्बन्धित है। कुल लाभान्वित परिवारों मे से 51.84 प्रतिशत अनुसूचित जातियो से सम्बन्धित थे। इन लाभान्वित परिवारों मे 1370 महिलाये थी।

39 भूमि विकास कार्यक्रम

जिला भिवानी मे 2006–07 के दौरान 151 हैक्टेयर भूमि सममतल की गई तथा परिवारो द्धूारा सिचांई हेतु 598 पाईप किसानों को वितरित किये गये।

सिंचाई 6

40 वर्ष 2009–2010 मे निबल सिचिंत क्षेत्र 202000 हैक्टेयर था। जो कि बोये गये निबल क्षेत्र का 54.4 प्रतिशत था। स्त्रोतानुसार निबल सिचांई के क्षेत्र में 57.92 प्रतिशत टयूबवलो से तथा 41.58 प्रतिशत नहरों का योगदान रहा। टयूबवलो द्धारा कुल 117000 हैक्टेयर नहरो द्धारा 84000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई।

41 वर्ष 2009–2010 मे कुल सिंचित क्षेत्र कुल बोये गये क्षेत्र का 56.44 प्रतिशत था तथा निबल सिंचित क्षेत्र निबल बोये गये क्षेत्र का 54.45 प्रतिशत रहा।

42 फसल अनुसार सिंचित क्षेत्र

वर्ष 2009–2010 मे फसल अनुसार कुल बोया गया क्षेत्र 714 हजार हैक्टेयर था। जिसमें 56.44 प्रतिशत सिंचित था फसल अनुसार सिंचित क्षेत्र की स्थिति इस प्रकार रही, गेहूॅं के अधीन 38.71 प्रतिशत धान के अधीन 4.71 प्रतिशत, बाजरा के अधीन 8.93 प्रतिशत रही।

43 सिंचाई की सघनता

वर्ष 2009–2010 मे जिला भिचानी मे कुल सिंचित क्षेत्र 4030 सौ हैक्टेयर तथा निबल सिचिंत क्षेत्र 2020 सौ हैक्टेयर पर था। बोये गये कुल क्षेत्र के मुकाबले में कुल सिचिंत क्षेत्र की प्रतिशतता बवानी खेडा 77.5 प्रतिशत, भिवानी 63.57 प्रतिशत, तोशाम 36.67 प्रतिशत, लौहारु 55.36 प्रतिशत, सिवानी 15.56 प्रतिशत तथा दादरी 58.76 रही।

44 नलकूप/पम्पिंग सैट

वर्ष 2009–2010 में कुल नलकूपो तथा पम्पिगं सेटों की सख्यॉ 51174 है।

45 बाढ़

जिला भिवानी मे कोई भी नदी (बरसाती आदि भी) न होने के कारण बरसात के मौसम मे भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बहुत कम है।

पशुपालन तथा डेरी

46 पशुधन

2007 की पशुगणना अनुसार जिला भिवानी में पशुधन की सख्यॉ 784685 तथा कुकुटादि सख्यॉ 822500 थी। 2007 मे कुल पशुधन मे से 11.96 प्रतिशत गाय व बैल, 60.15 प्रतिशत भैसें, 22.86 प्रतिशत भेड. तथा बकरी, 0.21 प्रतिशत घोड़े तथा खच्चर, 4.58 प्रतिशत ऊटॅ सुअर तथा कुते थे।

47 जिला भिवानी मे 2007 की पशुगणना के आधार पर प्रति हजार मनुष्यों के पीछे पशु सख्॔या 66 है। भैसे 331 धोड़े तथा खच्चर 1 गधे 1 भेड़े 63 बकरियॉ 63 तथा कुकुटादि 577 व ऊॅट 8 थे।

48 पशु चिकित्सायें सेवायें

वर्ष 2010–2011 मे जिला भिवानी मे पशु चिकित्सा सेवायें प्रदान करने के लियें 74 पशु चिकित्सालय, 146 पशु चिकित्सा डिस्पैन्सरियॉ, 0 क्षेत्रीय कृत्रिम गर्भादान केन्द्र कार्यरत थे।

49 सभी सस्ंथाओं द्धारा वर्ष 2010–2011 में 366000 पशुओं का इलाज किया गया। इस वर्ष के दौरान 47000 गाय तथा 126000 भैसों का कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया। जिला भिवानी मे सधन पशुधन विकास परियोजनाओं के अर्न्तगत एक मध्यम आकार की परियोजना कार्य कर रही है। जिसके अर्न्तगत एक वीर्य बैकं भी है। जिला भिवानी में 2010–2011 मे 27 विकसित गौशाला थी तथा ये सभी गौशाला सधं से सम्बन्धित थी।

50 डेरी दुग्ध उत्पादन

दुग्ध उत्पादन कृषको के लिये अतिरिक्त आय का एक मुख्य साधन है। 2007 की पशुगणना अनुसार कुल पशुधन आर्थात 784685 मे से 176300 दुधारु पशु थे।

51 जिला भिवानी मे एक मिल्क प्लांट भी है। इस प्लांट में दूध को ठण्डा किया जाता है। इसमे जिला रोहतक के दुग्ध सधंन मे उत्पादित वीटा धी की बिक्री की जा रही है।

52 वर्ष 2010–2011 मे मछली पालन से कुल 225743 हजार रुपये की आय हुई तथा वर्ष के दौरान 100 रुपये का मुआवजा वसूल किया गया।

53 मछली पालन के लिये कुल 615 हैक्टेयर भूमि को प्रयोग मे लाया गया 3243 टन विभिन्न प्रकार की मछली का विपणन हुआ।

54 वर्ष 2007–2008 मे कुल 42900 रुपये के मछली के बीज का वितरण किया गया।

विधुत

55 विधुतीकरण शहरी / गावं

जिला मे स्थित सभी शहरो तथा गांव का विधुतीकरण हो चुका है।

56 नलकूप

वर्ष 2010–2011 मे भिवानी मे विधुतीकृत नलकूपो की सख्यॉं 27614 थी। जिसमें 23560 कृषि निजि के नलकूप थे।

57 विभिन्न परियोजनाओं में विधुत का उपयोग

भिवानी सर्कल मे वर्ष 2010–2011 मे 8676 सर्कट किलोमीटर एल0 टी0 लाईनें, 9598 सर्कट किलोमीटर 11 के0 वी0 लाईन्ज तथा 22876 ट्रासफार्मर थे। इस प्रकार जिला भिवानी मे संयोजनों की सख्यां 270978 हो गई है कुल सयोजनों मे 80.38 प्रतिशत धरेलू, 7.50 प्रतिशत वाणिज्य, 0.96 प्रतिशत औधौगिक, 10.70 प्रतिशत कृषि तथा शेष 0.45 प्रतिशत अन्य उपयोगों के लिये थे।

58 जिला भिवानी मे बिजली का उत्पादन नही होता है। जिला में वर्ष 2009.2010 के दौरान 7214.15 लाख किलोवाट बिजली की खपत हुई जिसमे 1332.63 लाख किलोवाट घरेलू, 375.48 लाख किलोवाट वाणिज्यक, 1666.54 लाख किलोवाट औधोगिक, 23.09 लाख किलोवाट सार्वजनिक प्रकाश, 298.03 लाख किलोवाट सार्वजनिक जलपूर्ति, 2970.33 लाख किलोवाट कृषि आदि तथा 542.73 लाख किलोवाट बिजली भारी मात्रा में उपयोग करने वाले समायोजनों द्धारा खपत की गई।

खनिज पदार्थ तथा उद्योग

59 खनिज उत्पादन

जिला भिवानी में खनिज पदार्थ अधिक मात्रा मे नही पाये जाते है। जिले मे अरावली पर्वत की शाखाओं के होने के कारण वहॉं सड़क निर्माण में तथा मकान आदि बनाने में प्रयुक्त होने वाला पत्थर प्रचुर मात्रा मे पाया जाता है। वर्ष 2006–2007 मे सड़क निर्माण तथा मकान आदि में प्रयुक्त पत्थरो का उत्पादन लगभग 4080452 मी0 टन हुआ। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 14.69 करोड़ रुपये ऑकी गई इसके अतिरिक्त साल्ट पीटर का उत्पादन लगभग 200 मी0 टन हुआ, जिसकी कीमत लगभग 1.60 लाख रुपये ऑकी गई तथा ब्रीक अर्थ का उत्पादन लगभग 220000 मी0 टन हुआ तथा इसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपये ऑकी गई।

60 लघु उद्योग यूनिट

वर्ष 2010 मे जिला भिवानी मे कुल 116 रजिस्टर्ड फेक्टरियॉं कार्यरत रही।

61 वर्ष 2010 मे जिले मे कुल 116 फेक्टरियॉं रजिस्टर्ड थी, 78 फेक्टरियॉं 2 एम (1), 1 फैक्ट्री 2 एम (11) के अधीन तथा 37 फेक्टरियॉं धारा 85 के अधीन रजिस्टर्ड थी, जिनमे अनुमानित 12984 कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे।

62 बड़े तथा मध्यम स्तरीय उद्योग यूनिट

जिला भिवानी में निम्नलिखित बड़े तथा मध्यम स्तर के उद्योग स्थित है।

1 भिवानी टैक्सटाईल मिल्ज, भिवानी।
2 एलीमेन्ट स्पीनर्स।
3 हिन्दुस्तान गम एण्ड कैमीकल्स।
4 एस0 के0 फायल्स
5 पवांर स्टील लिमिटेड
6 आर0 के0 इस्पात
7 विकास डबल्यू एस0 पी0 लि0 सिवानी।

सड़क तथा परिवहन

63 सड़कों की लम्बाई

लोक निर्माण विभाग "सड़के तथा भवन" द्धारा सारा वर्ष सड़कों की देख रेख की जाती है। वर्ष 2010–2011 मे जिला भिवानी मे 2390 कि0 मी0 पक्की तथा 10 कि0 मी0 कच्ची राज्य सड़के थी। जिला के सभी गांव पक्की सड़को से जुड़े हुये है। वर्ष 2010–2011 मे जिला भिवानी में पक्की सड़को की कुल लम्बाई 2436 कि0 मी0 रही।

64 रेलवे स्टेशन एवं हरियाणा परिवहन बस स्टैण्डो की सख्यां

प्रायः जिले के सभी गांव पक्की सड़को से जुड़े हुये है। वर्ष 2010–2011 में जिला भिवानी में हरियाणा परिवहन, भिवानी द्धारा निर्मित 6 बस स्टैण्ड़ सेवायें प्रदान कर रहे है। जिला भिवानी में 10 रेलवे स्टेशन है।

65 राज्य परिवहन

जिला भिवानी में हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी डिपू अपनी 187 बसों द्धारा सेवाये प्रदान कर रहा है। ये बसें जिला के भीतर व राज्य के तथा अर्न्तराज्य रुटो पर चलाई जा रही है। इन बसों द्धारा वर्ष 2010–2011 में 215.10 लाख कि0 मी0 की दूरी तय की गई जिससे 3624.11 लाख रुपये की आय हुई। इन बसों मे प्रतिदिन औसतन 58250 यात्रियों द्धारा यात्रा की गई।

66 सड़क दुर्घटनायें

वर्ष 2010 में 577 दुर्घटनायें घटी जिसमें 577 गाड़ियॉ दुर्घटना ग्रस्त हुई। इन दुर्घटनाओं में 222 व्यक्ति मारे गये तथा 529 व्यक्ति घायल हुये।

संचार

67 डाकघर तथा तार घर

वर्ष 2010–2011 में जिले में 221 डाकघर कार्य कर रहे थे। प्रति लाख व्यक्ति के पीछे 14 डाकघर कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जनता की सुविधा के लिये 568 लेटरबाक्स की सेवायें प्रदान की गई।

68 दूरभाष केन्द्र

वर्तमान में जिला भिवानी में 43200 दूरभाष कार्य कर रहे थे जो 61 दूरभाष केन्द्रों से जुडे हुयें है।

श्रम तथा रोजगार

69 औद्योगिक झगड़े

वर्ष 2010 के दौरान जिला भिवानी में 67 औद्योगिक झगड़े रिर्पोट किये गये। वर्ष के दौरान ओद्योगिक सगंठन में किसी प्रकार की तालाबन्दी व हड़ताल नही हुई है। जिला में वर्ष 2010 में श्रमिक सघं अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्टर्ड़ सघों की सख्यां 51 है।

70 रोजगार

जिला भिवानी मे वर्ष 2010–2011 मे 27800 व्यक्ति संगठित क्षेत्र मे रोजगार मे थे। जिनमे से 23269 व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र मे तथा 4531 व्यक्ति निजि क्षेत्र मे लगे हुये थे।

71 जिला भिवानी मे 4 रोजगार कार्यलय एवं एक व्यवसायिक मार्ग दर्शन हेतु एक सूचना केन्द्र है। इन रोजगार कार्यालयो मे वर्ष 2009 के दौरान 17324 व्यक्तियो द्धारा रोजगार हेतु पंजीकरण करवाया गया जिससे कुल पंजीकृत बेरोजगारो व्यक्तियों की सख्यां 64778 हो गई। इन रोजगार केन्द्रो मे से 13 नियोजनो द्धारा सेवाये की गई तथा कुल 13 नियुक्तियॉ की गई।

72 जिला भिवानी मे वर्ष 2010 के दौरान 10123 दुकानो मे 4424 कर्मचारी, 197 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानो मे 1574 कर्मचारी, 595 होटल तथा जलपान ग्रहो मे 388 कर्मचारी कार्यरत रहे।

73 मजदूरो की औसत दैनिक आय

वर्ष 2011 के दौरान जिला भिवानी मे कुल कार्यक्रताओं जैसे बढ़ई व लौहार की दैनिक मजदूरी क्रमशः 387.50 और 387.50 रुपये थी, हल चलाने वाले कृषि श्रमिक की दैनिक मजदूरी 262.50 रुपये बिजाई के लिये 262.50 रुपये गोड़ाई के लिये 275.50 रुपये तथा अन्य कृषि सम्बन्धी मजदूरी की दर 262. 50 रुपये प्रतिदिन रही।

सहकारिता

74 सहकारिता वर्ष 2010–2011 मे जिला भिवानी मे 1864 सहकारी समीतियॉ थी। जिनके सदस्यो की सख्यां 349747 थी।

75 वर्ष के दौरान इन सहकारी समीतियो मे 8.83 करोड़ रुपये हिस्सा पूंजी 18.96 करोड़ रुपये निजि पूंजी थी।, जबकि कार्य पूंजी 150.14 करोड़ रुपये रही। इस प्रकार वर्तमान सीमा अनुसार 2011 की जनसख्यां के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत कार्य पूंजी 918.60 रुपये थी।

76 प्रति लाख व्यक्तियो पर समीतियो की सख्यां 114 थी जबकि प्रति हजार जनसख्यां पर सब प्रकार की समीतियो के सदस्यों की सख्यां 214 थीं

77 सभी 1864 सहकारी समीतियों एवं बैको मे से एक केन्द्रीय सहकारी बैकं, 41 कृषि ऋण, 56 गैर कृषि ऋण, 0 प्राथमिक भूमि विकास बैकं, 5 विपणन, 104 बुनकर, 5 उपभोक्ता समीतियां, 20 आवास समीतियॉ, 29 खेती समीतियॉ तथा शेष 1604 अन्य प्रकार की समीतियॉ थी।

बैंकं

78 वर्ष 2010–2011 में जिला भिवानी मे एक सहकारी बैकं था। जिसकी 38 अन्य शाखायें थी। इनमे हिस्सा पूंजी 21.88 करोड़ रुपये, निजि पूंजी 33.23 करोड़ रुपये जबकि कार्य पूंजी 223.75 करोड़ रुपये रही। वर्ष के दौरान इस बैकं द्धारा दिया गया कुल ऋण 40589 लाख रुपये था।

79 वर्ष 2010–2011 मे जिला भिवानी में 1 प्राथमिक भूमि विकास बैकं था। इसकी की हिस्सा पूंजी 1218.66 लाख रुपये, निजि पूंजी 1273.26 लाख रुपये जबकि 22956.26 लाख रुपये कार्य पूंजी थी। इसके द्धारा 5168.32 लाख रुपये का कर्जा दिया गया।

80 जिला भिवानी में वर्ष 2011 मे 124 अनुसूचित वाणिज्य बैकं के कार्यालय थे। जिनमे से 44 प्रतिशत ग्रामीण तथा 56 प्रतिशत श्हरी क्षेत्र में थे।

81 प्रति बैकं ब्रांच द्धारा 15500 व्यक्तियो को सेवायें प्रदान की गई।

82 31 मार्च 2011 तक 3051 करोड़ जिला भिवानी मे अनुसूचित वाणिज्यक बैकों मे जमा पड़े थे। जिसमे से 2242 करोड़ रुपये ऋण के रुप मे दिये गये। इस प्रकार ऋण व जमा मे अनुपात 73.48 व 26.52 था।

83 सबसे अधिक ऋण कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्यो के लिये प्रदान किये गये अनुसूचित वाणिज्यक बैकों मे प्रति व्यक्ति जमा धन राशि 18667 रुपये थी।c

<u>शिक्षा</u>

84 विद्यालय तथा महाविद्यालय

जिला भिवानी मे वर्ष 2009–2010 मे राजकीय तथा अराजकीय 1101 प्राथमिक, 227 माध्यमिक तथा 621 उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक मान्यता प्राप्त विद्यालय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो मे शिक्षा प्रदान कर रहे है। इन प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों मे क्रमशः 1341, 2275, 8073 अध्यापक कार्यरत थे।

85 वर्ष 2009–2010 के दौरान 424098 विधार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जिनमे से 98197, (23.15) प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में, 104315 (24.60) प्रतिशत, माध्यमिक विद्यालयों में तथा शेष 221586 (52.24) प्रतिशत विद्यार्थी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा गहण कर रहे थे।

86 वर्ष 2009–2010 में जिला भिवानी मे अनुसूचित जाति के कुल 75227 विद्यार्थियों ने मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा गहण की जो कुल विद्यार्थियों का 17.74 प्रतिशत है। इनमे से 17182 (22.84) प्रतिशत विधार्थी प्राथमिक पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में 12484 (16.60) प्रतिशत, माध्यमिक विद्यालयों में तथा शेष 45561 (60.56) प्रतिशत विद्यार्थी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा गहण कर रहे थे।

87 जिला भिवानी मे वर्ष 2009–10मे प्रति अध्यापक विद्यार्थियों का अनुपात लगभग 73.22 प्राथमिक, 45.85 माध्यमिक 27.44 उच्च, तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का था।

88 इसके अतिरिक्त प्राईमरी शिक्षा के लिये जिले में सामकेतिक बाल विकास परियोजना के अर्न्तगत 12 ब्लाकों में 1916 आगंनबाड़ी केन्द्र कार्यरत थे।

89 जिला भिवानी मे वर्ष 2010–20110 में 49 महाविद्यालयों में कलां, विज्ञान एवं गहविज्ञान महाविद्यालयों में 20931 विद्यार्थी शिक्षा गहण कर रहे थे। जिसमे 2934 विद्यार्थी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित थे।

90 अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

व्यवसायिक शिक्षा के लिये जिला मे 3 इन्जिनियरिगं महाविद्यालय एवं 3 शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय भी कार्यरत थे।

91 उपरोक्त के अतिरिक्त जिला भिवानी मे 4 औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान तथा राजकीय व्यवसायिक शिक्षा सस्थान कार्य कर रहे थे।

92 इन्जिनियरिगं कालेज

जिला भिवानी मे टेक्नोलोजीकल इन्सटीच्यूट आफ टैक्सटाईल कालेज मे स्नातकोतर स्तर के जैसे टैक्सटाईल विपिंग कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा टैक्सटाईल स्पीनिंग आदि विभिन्न पाठयक्रमों मे प्रशिक्षण दिया गया।

93 वर्ष 2004–2005 मे इन्जिनियरिगं कालेज मे 707 लड़को तथा 266 लड़कियो कुल 980 विद्यार्थियो द्धारा प्रशिक्षण दिया गया।

चिकित्सा तथा जन स्वास्थय

94 स्वास्थय सेवायें

जिला भिवानी मे राज्य सरकार तथा प्राईवेट सस्थाओं द्धारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार की एलोपैथी सस्थाओं जिसमे 283 राज्य सरकार द्धारा तथा 6 प्राईवेट असहायता प्राप्त सस्थाओं द्धारा

चिकित्सा सेवाये प्रदान की गई। इन सस्थाओं मे 8 अस्पताल, 39 प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, 6 सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र, 16 डिस्पैन्सरी तथा 214 उप केन्द्र कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त जिला मे 47 आर्युवैदिक अस्पताल भी चिकित्सा सुविधाये भी प्रदान कर रही है। जिला मे विशेष चिकित्सा के लिये एक क्षय रोग केन्द्र मे अन्तरंग तथा बाध्य रोगियो की भी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

95 वर्ष 2010–2011 मे सरकारी सस्था द्वारा 1278029 रोगियो की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती गई। वर्ष 2010–2011 मे सरकारी सस्था मे 945 बिस्तर उपलब्ध थे। प्रत्येक एक लाख आबादी के लिये 66 रोगी बिस्तर उपलब्ध थे।

96 वर्ष 2010 मे जिले मे कुल जन्मों की सख्या 31315 थी। जिनमे 17883 ग्रामीण तथा 13432 शहरी क्षेत्र मे जन्म हुये। वर्ष 2010 मे मोतो की सख्या 8830 रही। जिसकी सख्या ग्रामीण क्षेत्र मे 6841 तथा शहरी क्षेत्र मे 1989 थी। जिनमे 2006 मे से 320 एक वर्ष से कम उम्र की मौते हुई।

97 परिवार कल्याण प्रोग्राम

जिला भिवानी मे वर्ष 2010–2011 मे 7 परिवार कल्याण केन्द्र कार्यरत थे। वर्ष 2010–2011 मे कुल 6026 व्यक्तियों ने नसबन्दी आप्रेशन करवाये जिनमे 142 नसबन्दी तथा 5884 टयूबकामी आप्रेशन थे। वर्ष के दौरान 10324 ने आई.यू.डी. का प्रयोग किया।

98 सुरक्षित पेयजल

जिला भिवानी मे पेयजल परियोजना के अधीन जिले के सभी गावों को पेयजल सुविधा प्रदान की जा रही है।

कल्याण विभाग "अनुसूचित जातियॉ व पिछड़े वर्ग "

99 कमजोर वर्ग के कल्याण के लिये कार्यक्रम जैसे मकान बनाने के लिये ऋण मैट्रिक के ऊपर के विधार्थियों के लिये छात्रवृति पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खरीदने हेतु बिना ब्याज के ऋण तथा मुफत वृद्वियों का बाटना सारा वर्ष प्रगति पर रहा।

100 वर्ष 2006–2007 मे मकान अनुदान योजना अनुसूचित/विमुक्त जाति के अर्न्तगत 73 परिवारो को 36.5 लाख रुपये की राशि का अनुदान किया गया। इस स्कीम मे उन व्यक्तियो को जिनके पास कच्चा मकान हो व 50 वर्ग गज का प्लाट हो उन्हें 50000/–रुपये का अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2005–06 मे 104 लाभपात्रो को 10.40 लाख रूप्ये की राशि वितरित की गई।

101 अत्याचार निवारण योजना – इस स्कीम के अर्न्तगत किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियो पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियो द्वारा अत्याचार करने पर उन्हे क्रमशः 15 हजार रुपये से 2 लाख रुपये सहायता रुप मे दिये जाते है। इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2005–06 मे 8 लाभपात्रो को 75 हजार रूपये तथा 2006–07 मे 156250/– रू0 2 लाभपात्रो को वितरित किये गये है।

102. इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना – इस योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति तथा अन्य सभी जातियो की विधवाओ को उनकी लड़कियों की शादी के उत्सव पर 15000/–रुपये तथा पिछड़े वर्ग व अन्य जातियो के व्यक्तियो को उनकी लड़कियों की शादी के उत्सव पर 5100 रुपये अनुदान के रुप मे प्रदान किये जाते है। वर्ष 2005–2006 मे 1011 लाभपात्रो को कुल 9833400/–रू0 वितरित किये गये है। वर्ष 2006–2007 मे 1467 लाभपात्रो को 15699300/– रु0 वितरित किये गये है।

103. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति अनुसूचित/पिछडा वर्ग:– इस योजना के अर्न्तगत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओ मे पढने वाले अनुसूचित तथा पिछडा वर्ग के छात्रो को पूरी फीस का भुगतान किया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2005–2006 मे 1397426/–रु0 144 छात्रो को तथा 2006–07 मे 4642977/–रु0 310 छात्रो को वितरित किये गये है।

104. विधार्थी कर्जा योजना:– इस योजना के अर्न्तगत पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट ग्रेजुएट इन्जिनियरिगं, मेडीकल इत्यादि कक्षाओ मे पढने वाले छात्रो को क्रमशः 800/–रु0, 1500/–रु0 तथा 2000/–रु0 पुस्तके एवं लेखन सामग्री हेतु प्रदान किये जाते है। इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2005–06 मे 800 छात्रो को 741200/–रु0 तथा 2006–07 मे 591 लाभपात्रो को 975100/–रु0 वितरित किये गये है।

105. प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर पोत्साहन राशिा देने बारे'– इस योजना के अर्न्तगत दस जमा दो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडीकल, इन्जिनियरिगं तथा डिप्लोमा इत्यादि कोर्सो मे प्रथम चरण मे प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर क्रमशः 1000/–रु0 1500/–रु0 तथा 2000/–रु0 प्रोत्साहन के रूप मे प्रदान किये जाते है। इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2005–06 मे 85 छात्रो को 104500/–रु0 तथा 2006–07 मे 212000/–रु0 187 छात्रो को वितरित किये गये है।

106. अर्न्तजातिय विवाह योजना:– समाज मे छुआछूत खत्म करने के लिये यह स्कीम चलाई गई है। लडका या लडकी अनुसूचित जाति का तथा हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिये। शादी के समय लडके की आयु 21 वर्ष तथा लडकी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिये। इस योजना के अर्न्तगत प्रार्थी

को 50000/–रु0 का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2005–06 मे 125000/–रु0, 2006–07 मे किसी को कोई लाभ नही दिया गया।

107. वृद्धावस्था एवं अन्य पैशंन

वर्ष 2010–2011 मे जिला भिवानी मे बुढ़ापा भत्ता स्कीम के अर्न्तगत 101293 वृद्धो को 500/700/– रुपये प्रति मास की दर से कुल 6657.40 लाख रुपये तथा 10321 विकलांग व्यक्तियो को 730.88 लाख रुपये की राशि पैशंन के रुप मे वितरित की गई तथा विधवा पैशंन के अर्न्तगत 37698 विधवाओं को 3264.31 लाख रुपये वितरित किये गये।

विविध

108. नगरपालिकाएं

वर्ष 2008–2009 के दौरान जिले मे स्थित 5 नगरपालिकाओ का अन्तिम शेष (आय–व्यय) 911.72 लाख रुपये था! वर्ष 2008–2009 मे 1945.15 लाख रुपये (आय) जो कि 2007–2008 के अन्तिम शेष सहित हुई! जिसमे से 1033.43 लाख रुपये व्यय किये गये!

109 जिला राजस्व

जिला राजस्व मे वर्ष 2010–2011 मे निम्नलिखित साधनो मे राजस्व की प्राप्ति हुई! हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2003 से 1123581 हजार रुपये, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम–1956 से 40125 हजार रुपये, की आय हुई! जबकि 2009–10 मे हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2003 से 1075982 हजार रुपये, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम–1956 से 31840 हजार, रुपये की आय हुई थी!

110. रजिस्ट्रीकरण

वर्ष 2008–2009मे जिला भिवानी मे रजिस्ट्री कार्यालयो की सख्यां 9 थी जिनमे 28128 अनिवार्य अचल सम्पतियो की रजिस्ट्री हुई। इन अन्तरित सम्पतियो का मूल्य 80702.19 लाख रुपये था। इससे सरकार को 378.88 लाख रुपये की आय हुई।

111. पुलिस तथा अपराध

जिला भिवानी मे वर्ष 2010 मे 13 पुलिस स्टेशन तथा 16 पुलिस चौकियां कार्यरत थी। जिले मे इस वर्ष के दौरान 2871 अपराध हुये। जिनमे से 61 हत्या के, 7 केस लूट के, 787 केस सेधं चोरी तथा 2016 केस विविध अपराधो से सम्बन्धित थे। जबकि वर्ष 2009 मे कुल 2732 विभिन्न प्रकार के अपराध हुये।

112. हरियाणा सरकार के कर्मचारी

जिला भिवानी मे 31 मार्च 2009 को हरियाणा सरकार के अधीन कार्यालयो मे 24806 कर्मचारी कार्यरत थे। जिनमे 17302 पुरुष तथा 7504 महिलाएं थी जिला मे 1774 राजपत्रित तथा 23032 अराजपत्रित कर्मचारी थे।

113. मनोरंजन

जिला भिवानी के जिले मे अनेको मन्दिरो व धार्मिक स्थलो के कारण इसे छोटी कांशी के नाम से भी जाना जाता है। भिवानी शहर का किरोड़ीमल मन्दिर अपनी भव्यता व सुन्दरता के लिये बहुत प्रसिद्ध है। जिले के दादरी तहसील के अर्न्तगत गांव बाधौत के शिव रात्रि के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। वहॉ लाखो क्षधालु व कावडियें आते है और शिवलिंग पर जल चढ़ाते है। जिले मे अरावली पर्वत की श्रृखंला है जिसका सबसे ऊचॉ पहाड़ तोशाम शहर मे है। जिले मे मनोरंजन हेतु 1 सिनेमा घर भी है।

114. बचत

वर्ष 2006–2007 मे जिला भिवानी मे बचत लक्ष्य 70 करोड़ रुपये तथा प्राप्ति 29.09 करोड़ रुपये की बचत की गई जो कि लक्ष्य 41.55 प्रतिशत प्राप्त किया गया है।

115 विकेन्द्रीयवृत योजना

जिला भिवानी मे विकेन्द्रीयवृत योजना के अर्न्तगत वर्ष 2008–2009 के दौरान 433 लाख रुपये की राशि जिला के विभिन्न विकास कार्यो के लिये जारी की गई।

116. खेलकूद

खेल विभाग भिवानी द्धारा भीम स्टेडियम भिवानी मे समय 2 पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1982 मे निर्मित 32 एकड़ के विशाल भू–क्षेत्र मे निर्मित भीम स्टेडियम मे जिला स्तर के साथ–2 अर्न्तराज्यि प्रतियोगिताओं का आयोजन भी सरलता से किया जाता है। इसमे एथलैटिक्स, फुटबाल, बालीवाल, हाकी, खो–खो, क्रिकेट आदि के मैदानो की समुचित सुविधाये है। जहां प्रशिक्षक प्रतिदिन सुबह साय बच्चों को प्रशिक्षण देते है। इस स्टेडियम पर इसी समय लगभग 25 लाख रुपये की लागत आई थी।

117 इसी भीम स्टेडियम मे वर्ष 1987 मे 33 लाख रुपये की लागत से तरणताल का निर्माण किया गया। जिसमे सुबह शाम विभिन्न आयु वर्ग के बच्चो को योग्य प्रशिक्षको द्धारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके

अतिरिक्त वर्ष 1989 मे इन्दौर खेलो जैसे जमुनास्टीक, टेनिस, मुक्के बाजो तथा बैडमिन्टन आदि खेलो के प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु 76 लाख रुपये की लागत से एक विशाल हाल का निर्माण भी किया गया है।

118 राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र

उच्च कोटि के युवा खिलाड़ियो हेतु यहाॅ यूथ होस्टल भी है। जिसमे उत्कृष्ट खिलाड़ियो को सरकार की तरफ से मुफत भोजन तथा रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2005–2006 मे कुल 33 प्रशिक्षको द्धारा 1500 खिलाड़ियो को प्रशिक्षण दिया गया।

119. चुनाव एवं मतदाता

31 जनवरी, 2009 के अनुसार जिला भिवानी मे मतदाताओं की कुल जनसख्या 840416 है, जो 6 विधान सभा क्षेत्रों क्रमशः भिवानी, चरखी दादरी, बाढड़ा, लौहारु, तौशाम, व बवानी खेड़ा मे विभाजित है। इसमे से 450319 पुरुष तथा 390097 महिला मतदाता है। लोक सभा हल्का भिवानी के अर्न्तगत 9 विधान सभा क्षेत्र आते है। जिनमे से 5 भिवानी जिले मे क्रमशः भिवानी, चरखी दादरी, बाढड़ा, लौहारु, तौशाम तथा 4 महेन्दर गढ़ जिले मे क्रमशः महेन्दर गढ़, अटेली, नांगल, नारनौल क्षेत्र आते है।

परिशिष्ट –3

जिला एक दृष्टि मे

चुने हुये सूचकांक

1.	जनसख्ंया का धनत्व प्रति वर्ग कि0 मी0 2001	298
2.	कुल जनसख्ंया पर ग्रामीण जनसख्ंया की प्रतिशतता 2001	81.03
3.	कुल जनसख्ंया पर शहरी जनसख्ंया की प्रतिशतता 2001	18.97
4.	कुल जनसख्ंया पर 0–6 आयु वर्ग की जनसख्ंया की प्रतिशतता 2001	15.50
5.	कुल जनसख्ंया मे लिगांनुपात 2001	880
6.	ग्रामीण जनसख्ंया मे लिगांनुपात 2001	685
7.	शहरी जनसख्ंया मे लिगांनुपात 2001	858
8.	0–6 आयु वर्ग की जनसख्ंया मे लिगांनुपात 2001	830
9.	साक्षरता 2001	
	पुरुष	85.19
	स्त्रियॅा	53.50
	कुल	68.17
10.	कुल बोये गये क्षेत्र की कुल क्षेत्र से प्रतिशतता 2008–2009	182.89
11.	एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्र की कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशतता 2008–2009	49.01
12.	कुल बोये गये क्षेत्र की कुल निबल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशतता 2007–2008	196.12
13.	गांव के विद्युतीकरण की प्रतिशतता	100
14.	स्कूल जाने वाले प्रति 1000 बच्चो पर स्कूलो की सख्ंया 2007–2008	
	प्राथमिक	6
	माध्यमिक	4
	उच्चतर	3
15.	प्रति लाख जनसख्ंया के पीछे बिस्तरो की सख्ंया	67
16.	प्रति पॅाच लाख जनसख्ंया के पीछे अस्पतालों की सख्ंया	3
17.	प्रति बैकं के पीछें व्यक्तियो की सख्ंया 2008–2009	8851
18.	प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पक्की सतही सड़को की लम्बाई कि0 मी0 2008–09	45.33
19.	प्रति लाख जनसख्ंया के पीछे डाकघरो की सख्ंया	16
20.	प्रति लाख जनसख्ंया पर परिवार कल्याण केन्द्रो की सख्ंया	1
21.	वर्तमान सीमा अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर 1425022 की अनुमानित जनसख्ंया वर्ष	
	2008–2009	1303287
	2009–2010	1466198